जोगेन्द्र सिंह **बनाम** हरविन्द्र कौर आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 92 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/395

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 1 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर के खाता संख्या 49/49 के मुरब्बा नम्बर 42 में प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह को घरू बंटवारानामा दिनांक 29.04.2016 में प्राप्त कुल 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि के संबध में प्रस्तुत बंटवारानामा फर्जी व कूटरचित है। जो शून्य, अकृत एंव बिलाधिकार होने के कारण हम अप्रार्थीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा हस्तग प्रकरण में वादी को कोई हक व हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 1 ओ, पटवार हल्का 10 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर के खाता संख्या 49/49 के मुरब्बा नम्बर 42 में प्रार्थी जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह को घरू बंटवारानामा दिनांक 29.04.2016 में प्राप्त कुल 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)	